कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक/ 8338 /छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2023 रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2023

--//सूचना//--

प्रवेश वर्ष 2023 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (PG Degree MD/MS) की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु प्रथम कॉउंसिलिंग आवंटन

*"सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 को अवलोकन करें, विशेषकर नियम *14 को पढ़कर ही आबंटन पत्र प्रिंट (Print) करने की कार्यवाही करें।"*

छत्तीसगढ़ के राज्य कोटे की चिकित्सा स्नातकोत्तर सीटों (PG Degree MD/MS) पर स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया निम्न समय–सारणी के अनुसार की जायेगी :–

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	विवरण
1	प्रथम कॉउंसिलिंग (ऑनलाईन आवंटन)	दिनांक : 23 अगस्त 2023 समय : 11:30 Hrs (Server Time) से
2	स्क्रुटनी की अंतिम तिथि *(समस्त अवकाश दिवस कार्य दिवस रहेगे)*	दिनांक : 26 अगस्त 2023, समय : 17:30 Hrs (Server Time) तक
3	आबंटित संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि *(समस्त अवकाश दिवस कार्य दिवस रहेगे)*	दिनांक : 27 अगस्त 2023, समय : 17:30 Hrs (Server Time) तक

*** *छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021, का नियम 14 :–***

14 (क) काउंसिलिंग प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में अभ्यर्थियों को यह विकल्प होगा कि वे उन्हें आवंटित सीट को स्वीकार करे अथवा आबंटित सीट को अस्वीकार कर काउंसिलिंग के अगले चरण में सम्मिलित हो।

14 (ख) उपरोक्त उप–नियम (क) के अंतर्गत यदि अभ्यर्थी द्वारा उसे आबंटित सीट स्वीकार की जाती है तो, अभ्यर्थी को प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक होगा। यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक प्रवेश नहीं लेता है तो प्रवेश परीक्षा वर्ष में प्रवेश हेतु अपात्र हो जायेगा।

14 (ग) प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी को संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश पात्रता से संबंधित समस्त मूल दस्तावेजों की छानबीन (स्क्रूटनी) करानी होगी। छानबीन नहीं कराने की स्थिति अथवा छानबीन में अपात्र होने पर अथवा निर्धारित तिथि तक फीस जमा कर प्रवेश नहीं लेने पर अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा वर्ष में प्रवेश हेतु अपात्र हो जायेगा।

रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस, रायपुर, *पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर* में एवं श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईसेस, जुनवानी भिलाई, *चंदुलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कचांदुर दुर्ग* में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराने की व्यवस्था करें।

संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय तद–अनुसार स्क्रूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।

22/08/23

क्रमशः...2...

द्वितीय काउंसिलिंग हेतु पात्र आवेदक *(प्रथम काउंसिलिंग में आवंटन उपरान्त छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 के नियम क्र0 14 (क) के अनुसार पात्र तथा प्रथम काउंसिलिंग में अनावंटित आवेदक)*

द्वितीय काउंसिलिंग में, जिस हेतु पात्र आवेदक सावधानी पूर्वक केवल वही संस्था एवं विषय का चयन करें जिसमें वे प्रवेश लेना चाहते है, द्वितीय आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश नहीं लेने के स्थिति में आपकी पंजीयन राशि जप्त कर ली जायेगी।

द्वितीय काउंसिलिंग हेतु आबंटन पूर्व संस्था चयन हेतु समय सारणी :-

1	प्रारंभ तिथि	दिनांक : 29 अगस्त 2023, समय : 11:00 Hrs (Server Time) से
2	अंतिम तिथि	दिनांक : 01 सितम्बर 2023, समय : 23:59 Hrs (Server Time) तक

नोट :-

1. प्रवेश उपरान्त Admission Receipt जारी होने पर ही प्रवेश मान्य होगा, अतः अभ्यर्थी भी रूचि लेकर Admission Receipt जारी कराये तथा उसकी एक कॉपी अवश्य ले। संस्था स्क्रूटनी ऑनलाईन रिपोर्टिंग अंतिम तिथि को रात्रि 11:59 बजे (23:59 Hrs) तक तथा प्रवेश की अंतिम तिथि तक रात्रि 11:59 बजे (23:59 Hrs) तक Admission Receipt जारी कर सकेंगे।
2. आगामी काउंसिलिंग, आवंटन एवं अन्य जानकारी हेतु संचालनालय की वेबसाईट *www.cgdme.in* एवं एन.आई.सी. की वेबसाइट *www.cgdme.admissions.nic.in* का नियमित अवलोकन करें।
3. **सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में आबंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा किया जायेगा।** अतः किसी व्यक्ति/संस्था के धोखे में नहीं फंसे।
4. **छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम, 2021 का अवलोकन कर ही, स्क्रूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करें, ताकि प्रवेश संबंधी जटिलताओं से सुरक्षित रहें।**

22/08/23

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/ 8339 /छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2023 रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2023

प्रतिलिपि :- अधिष्ठाता, शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय छ0ग0 की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल से प्रेषित।

संस्था प्रमुख स्क्रूटनी समिति को निर्देशित करें कि समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ बोनस अंक दस्तावेज एवं प्रावीण्य सूची में अंकित बोनस अंक से मिलान भी करें।

22/08/23

अध्यक्ष,
काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा,
छत्तीसगढ़